

गठ-बन्धन की पूर्व-घटायायी के
विषय, डाक द्वारा भेजे जाने के
लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक
भोपाल—505/इक्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल विवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मई 1979—वैशख 27, शके 1901

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मई 1979

क्र. 13152-इकीस-अ (प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 9 मई 1979 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९७९

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना)
अधिनियम, १९७९

विषय-सूची

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. वे विभागीय जांच जिनको कि यह अधिनियम लागू होगा :
3. परिभाषाएं.
4. धारा ५ में विनिर्दिष्ट की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति.
5. प्राधिकृत जांच प्राधिकारी को साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों को पेश कराने की शक्ति.
6. वे प्रादेशिक सोसाए जिनमें कि उन शक्तियों को, जो कि धारा ५ में विनिर्दिष्ट की गई हैं, प्रयोग किया जा सकेगा.
7. नियम बनाने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९७९

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९

[दिनांक ६ मई १९७९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १७ मई, १९७९ को प्रथमवार प्रकाशित की गई।]

विभागीय जांचों में साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों को पेश कराये जाने के लिए तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तीसरे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर-कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

ये विभागीय जांच जिनकी कि यह अधिनियम लागू होगा.

२. इस अधिनियम के उपबन्ध अत्येक ऐसी विभागीय जांच की लागू होंगे जो—

(क) ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में की जाय जो कि राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं में या लोक पदों पर नियुक्त किये गये हों;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में की जाय जो कि राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त किये जाकर निम्नलिखित की सेवा में हों या निम्नलिखित से वेतन प्राप्त करते हों—

(एक) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) कोई भी निगम जो राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और जिस पर राज्य सरकार व स्वामित्व या नियंत्रण हो;

(तीन) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (क्रमांक १ सन् १९५६) की धारा ६१७ के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी जिसमें कि समादेश अथवा पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित हो या कोई भी ऐसी कम्पनी जो ऐसी सरकारी कम्पनी की समतुल्य है;

(चार) मध्यप्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन हो.

परिभाषाएं.

३. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विभागीय जांच" से अभिप्रेत है कोई ऐसी जांच, जो—

(एक) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के या उसके अधीन बनाये गये किसी विधम के अधीन तथा अनुसार की गई हो; या

(दो) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक के अधीन बनाये गये या भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१३ के अधीन प्रवृत्त बने रहूँ किसी नियम के अधीन तथा अनुसार की गई हो;

(अ) "जांच प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त किया गया हो कि वह कोई विभागीय जांच करे और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी आता है जो ऐसी जांच करने के लिए किसी ऐसी विधि या नियम द्वारा या उसके अधीन, जो कि तत्समय प्रवृत्त हो, सशक्त किया गया हो।

४. (१) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी विभागीय जांच के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि धारा ५ में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को साक्षियों के रूप में समन किया जाय या उनसे कोई दस्तावेज मंगवाई जाय, वहां वह की गई शक्तियों का लिखित आदेश द्वारा, जांच प्राधिकारी को ऐसे वर्ग या वर्गों के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उस शक्ति का, जो कि धारा ५ में प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकती और तदुपरि जांच प्राधिकारी विभागीय जांच के किसी भी प्राधिकृत कर्त्तव्य की प्रकृति पर ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

(२) उस व्यक्ति के संबंध में, जिसके कि विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी है उससे अनिम्न ऐसा प्राधिकारी भी, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, उस शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो कि उपधारा (१) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त की गई हो।

धारा ५ का लोप

५. (१) प्रत्येक जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि किसी वाद का प्राधिकारी जांच की विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (क्रमांक ५ सन् १९०८) के अधीन साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों को पेश कराने की शक्ति निहित होती है, अर्थात् :-

- (क) किसी साक्षी को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और आप्त पर उसकी प्रतीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री के, जो कि साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य है, प्रकटीकरण तथा पेश किये जाने के लिये अपेक्षा करना;
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;
- (घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिये कमीशन निकालना।

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जांच प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, १९५६ (क्रमांक ३८ सन् १९५६) की धारा २ के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक को, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७०) की धारा ३ के अधीन गठित किये गये किसी तत्स्थानी नवीन बैंक को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४६ (क्रमांक १० सन् १९४६) में यथापरिभाषित किसी बैंककारी कम्पनी को, रिजर्वल रूरल बैंक एक्ट, १९७६ (क्रमांक २१ सन् १९७६) के अधीन गठित किये गये किसी रिजर्वल रूरल बैंक को, एग्रीकल्चरल रिफाइनन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन एक्ट, १९६३ (क्रमांक १० सन् १९६३) के अधीन गठित किये गये एग्रीकल्चरल रिफाइनन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन को तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४६ (क्रमांक १० सन् १९४६) की धारा ५१ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई किसी बैंककारी संस्था को इस बात के लिये विद्यमान नहीं करेगा कि वह—

- (क) कोई ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों, जिनके कि सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, समनुषंगी बैंक, तत्स्थानी नवीन बैंक, बैंककारी कम्पनी, रिजर्वल रूरल बैंक, एग्रीकल्चरल रिफाइनन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन या कोई अधिसूचित बैंककारी संस्था यह दावा करती हो कि वे गोपनीय प्रकार की हैं, पेश करे, या
- (ख) ऐसी किन्हीं लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग बनावे; या
- (ग) ऐसी किन्हीं लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों का, यदि पेश की गई हों, अपने समक्ष के किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण करावे।

(३) प्रत्येक ऐसी आदेशिका की, जो किसी साक्षी को हाजिरी के लिये या किसी दस्तावेज के पेश किये जाने के लिये किसी जांच प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हो, तामील उस व्यक्ति पर, जिसका कि उसमें नाम दिया गया हो या तो डाक द्वारा को जा सकेगी या इस प्रकार की जा सकेगी मानो कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (क्रमांक ५, सन् १९०८) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाला प्रत्येक जांच प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 345 तथा धारा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायगा।

वे प्रादेशिक सीमाएं जिनमें कि उन शक्तियों का, जोकि धारा 5 में विनिर्दिष्ट की गई हैं प्रयोग किया जा सकेगा।

6. धारा 5 में विनिर्दिष्ट की गई शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जांच प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता का विस्तार उस राज्य क्षेत्र की, जिस पर कि, इस अधिनियम का विस्तार है, सीमाओं तक रहेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

7. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जायगा।

भीपाल, दिनांक 17 मई 1979

क्र. 13153-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर क राया जाना बस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14 सन् 1979) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 of 1979

THE MADHYA PRADESH VIBHAGIYA JANCH (SAKSHIYON KA HAZIR KARAYA JANA TATHA DASTAVEJON KA PESH KARAYA JANA) ADHINIYAM, 1979

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Departmental inquiries to which Act shall apply.
3. Definitions.
4. Power of State Government to authorise exercise of powers specified in section 5.
5. Power of authorised inquiring authority to enforce attendance of witnesses and production of documents.
6. Territorial limits in which powers specified in section 5 may be exercised.
7. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 of 1979

THE MADHYA PRADESH VIBHAGIYA JANCH (SAKSHIYON KA HAZIR KARAYA JANA TATHA DASTAVEJON KA PESH KARAYA JANA) ADHINIYAM, 1979

[Received the assent of the Governor on the 9th May, 1979; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary, dated the 17th May, 1979.)]

An Act to provide for the enforcement of attendance of witnesses and production of documents in Departmental inquiries and for matters connected therewith or incidental thereto

Enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhinyam, 1979. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. The provisions of this Act shall apply to every departmental inquiry made in relation to,— Departmental inquiries to which Act shall apply.

(a) persons appointed to public services or posts in connection with the affairs of the State;

(b) persons who, having been appointed to any public service or post in connection with the affairs of the State, are in service or pay of,—

(i) any local authority;

(ii) any corporation established by or under any law made by the State Legislature and owned or controlled by the State Government;

(iii) any Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) in which not less than fifty one per cent. of the paid up share capital is held by the State Government or any company which is a subsidiary of such Government company;

(iv) any society registered under the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973), which is subject to the control of the State Government.

3. For the purposes of this Act,— Definitions.

(a) "departmental inquiry" means an inquiry held under and in accordance with—

(i) any law made by the State Legislature or any rule made thereunder; or

(ii) any rule made under the proviso to article 309 or continued under article 313, of the Constitution of India.

(b) "inquiring authority" means an officer or authority appointed by the State Government or by any officer or authority subordinate to that Government to hold a departmental inquiry, and includes any officer or authority who is empowered by or under any law or rule for the time being in force to hold such inquiry.

4. (1) Where the State Government is of opinion that for the purpose of any departmental inquiry it is necessary to summon as witnesses, or call for any document from, any class or category of persons, it may, by an order in writing, authorise the inquiring authority to exercise the power specified in section 5 in relation to any person within such class or category and thereupon the inquiring authority may exercise such power at any stage of the departmental inquiry. Power of State Government to authorise exercise of powers specified in section 5.

12/5/79-4/25/1979

धारा-4अ
लोक

(2) The power conferred on the State Government by section (1) may also be exercised by such authority, not being an authority inferior to the appointing authority, in relation to the person against whom the departmental inquiry is being held, as the State Government may, by notification, specify in this behalf.

Power of inquiring authority to enforce attendance of witnesses and production of documents.

(1) Every inquiring authority shall have the same powers as are vested in civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

- (a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document or other material which is producible as evidence;
- (c) the requisitioning of any public record from any court or office;
- (d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the inquiring authority shall not compel the Reserve Bank of India, the State Bank of India, any Subsidiary Bank as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 32 of 1959), or any corresponding new bank constituted under section 5 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970), a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949), a Regional Rural Bank constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976 (No. 21 of 1976), Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (No. 10 of 1963) and any banking institution notified by the Central Government under section 55 of the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949),—

- (a) to produce any books of account or other documents which the Reserve Bank of India, the State Bank of India, the subsidiary bank, the corresponding new bank, the banking company, the Regional Rural Bank, the Agricultural Refinance and Development Corporation, or any notified banking institution claims to be of a confidential nature; or
- (b) to make any such books or documents or the records of the proceedings of the departmental inquiry; or
- (c) to give inspection of any such books or documents, if produce, to any party before him, or to any other person.

(3) Every process issued by an inquiring authority for the attendance of any witness or for the production of any document may be served on the person named therein either by post or as if it were summons issued by a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).

(4) Every inquiring authority making any departmental inquiry under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

Territorial limits in which powers specified in section 5 may be exercised.

6. For the purpose of exercising the powers specified in section 5, the territorial jurisdiction of every inquiring authority shall extend to the limits of the territory to which this Act extends.

Power to make rules.

- 7. (1) The State Government may, by notification, make rules, for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.
- (2) Every rule made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.